

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, सिद्धार्थनगर ।

विज्ञप्ति संख्या 1487 / व्यवस्थापन-45(2) / 2020-21 / विज्ञप्ति / दिनांक: फरवरी 14 2020

विज्ञप्ति

इस कार्यालय से निर्गत पूर्व विज्ञप्ति संख्या 1398 दिनांक 25.01.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या -11/2020/155 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 24.01.2020 सपठित शासनादेश संख्या 20/2020/476 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 14.02.2020 एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 29194/दस- लाइसेंस -367/आबकारी नीति /2020-21 दिनांक 14.02.2020 सपठित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 26442/दस- लाइसेंस -367/आबकारी नीति /2020-21 दिनांक 25.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण के प्रथम चरण के पश्चात् अवशेष अव्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का द्वितीय चरण के ई-नवीनीकरण प्रक्रिया से व्यवस्थापन दिनांक 16.02.2020 से प्रारम्भ होगा तथा नवीनीकरण के प्रथम चरण के पश्चात् अव्यवस्थित दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2020 (पूर्वाह्न 11.00 बजे) से दिनांक 19.02.2020 (शायं 06.00 बजे) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर आनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं ।

RS
14/2/2020
(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

जिला आबकारी अधिकारी
सिद्धार्थनगर

RS
14/2/2020
(बीपक मौणा)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी,
सिद्धार्थनगर ।

संख्या 1488-09 / तददिनांक
प्रति-

1- स्थानीय संवाददाता 1-

2-

को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र में 13सेन्टीमीटर X13सेन्टीमीटर (लगभग) स्थान पर प्रकाशित कराकर बिल सूचना कार्यालय से सत्यापित कराकर भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

✓ 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

RS
जिला आबकारी अधिकारी
सिद्धार्थनगर ।